न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 176–तीन/09 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–12–2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 461/2005–06/अपील.

सरदारसिंह पुत्र उमरावसिंह
निवासी ग्राम खजूरी
तहसील आरौन जिला गुना .....आवेदक

विरूद्ध

उधमसिंह पुत्र उमरावसिंह
निवासी ग्राम खजूरी
तहसील आरौन जिला गुना
द्वारा मुख्तयारआम अपेथसिंह पुत्र गोपालसिंह
निवासी ग्राम खजूरी
तहसील आरौन जिला गुना .....अनावेदक

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री राजकुमार जैन, अभिषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/5/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार, आरोन जिला गुना के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि श्रीमती सुंदरबाई बेवा श्री उमरावसिंह रघुवंशी के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि ग्राम खजूरी स्थित सर्वे कमांक 12 रकबा 4.912 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 156 रकबा 0.157 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 184 रकबा 2.699 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 202 रकबा 6.207 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 282 रकबा 0.063 हेक्टेयर

है । सुंदरबाई की वर्ष 1993 में मृत्यु हो चुकी है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर वसीयतनामा के आधार पर आवेदक का नामांतरण स्वीकृत किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 37/अ–6/2003–04 दर्ज किया जाकर दिनांक 21–9–2005 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि के 1/3 भाग पर आवेदक का नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, आरोन के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26–5–2006 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26–12–2008 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया कि प्रकरण कमांक 82/अ–6/04–05 एवं 37/अ–6/2003–04 में एक साथ संयुक्त रूप से सुनवाई की जाकर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिसंगत आदेश पारित करें । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के पक्ष में मृतक भूमिस्वामी सुंदरबाई द्वारा दिनांक 15–1–89 को वसीयत निष्पादित किया गया है, जबकि आवेदक के पक्ष में दिनांक 25–4–92 को वसीयत निष्पादित हुई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय में अनावेदक द्वारा न तो वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया है, और न ही आवेदक के नामांतरण पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि भूमिस्वामी द्वारा वर्ष 89 में आवेदक के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित करने के पश्चात उसका कोई स्वत्व प्रश्नाधीन भूमि पर नहीं रह गया था । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय में आवेदक का वसीयतनामा विधिवत प्रमाणित हुआ है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अवैधानिकता की गई है, क्योंकि प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का कोई औचित्य नहीं है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त के प्रत्यावर्तन आदेश में कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार को दोनों वसीयतनामों की जांच की जाकर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर आदेश

पारित करने के निर्देश दिये गये हैं । इस आधार पर कहा गया कि आवेदक को तहसील न्यायालय में पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, और वे उनके पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा की वैधता को साक्ष्य से सिद्ध कर सकते हैं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि जो वसीयतनामा अनावेदक के पक्ष में है, जो कि मान्य किये जाने योग्य है, क्योंकि बाद में वसीयतनामा निष्पादित होने से पूर्व का वसीयतनामा स्वतः ही प्रभाव शून्य हो जाता है । तर्क के समर्थन में 90 (2) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 141 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि मृतक भूमिस्वामी के दोनों पुत्रों आवेदक सरदारसिंह एवं अनावेदक उधमसिंह द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित पृथक–पृथक वसीयतनामों के आधार पर पृथक–पृथक हिस्से की मांग की गई है । तहसीलदार द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र पर प्रकरण कमांक 37/अ–6/2008–09 दर्ज कर आदेश पारित किया गया है । इसी प्रकार अनावेदक के आवेदन पत्र पर प्रकरण कमांक 82/अ–6/2005–06 दर्ज कर आदेश पारित किया गया है, जबकि तहसील न्यायालय को चाहिए था कि वे दोनों प्रकरणों को एक साथ संलग्न कर सुनवाई कर आदेश पारित करते । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर दोनों प्रकरणों में संयुक्त रूप से सुनवाई कर उभय पक्ष को साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए विधिसंगत आदेश पारित करने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इस कारण अपर आयुक्त का आदेश निगरानी में हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–12–2008 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर